

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-5/अ0प्र0-01-03/2022

530

/पटना, दिनांक- 17.9.25

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक श्री गौरव कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव कोषांग को दिनांक 01.09.2025 से सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप इन्हें प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक 10.07.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16/08/25

(अभय झा)

ज्ञापांक--5/अ0प्र0-01-03/2022 9983

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक 17.9.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/25

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-03/2022 9983

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक 17.9.25

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/25

ज्ञापांक:- 5/अ0प्र0-01-03/2022 9983

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक- 17.9.25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री गौरव कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन का कार्यालय प्रतिनियुक्त विशेष कार्य पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/25

सरकार के संयुक्त सचिव